बिहार सरकार
परिवहन विभाग

आदेश

सं0सं0–02/कर माफी –01/2015 परि0 पटना, दिनांक–

जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–4145 दिनांक–04.10.2016, पत्रांक–3842 दिनांक–12.11.2016 एवं पत्रांक–3843 दिनांक–12.11.2016 द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामा घाट के तीन वाहनों के कुल एकमुश्त कर **4,56,622/– (चार लाख छप्पन हजार छः सौ बाईस) रूपये** के कर माफी किये जाने हेतु अभिलेख संख्या–06/2016–17 दिनांक–04.10.2016 एवं अभिलेख संख्या–05/2016–17 दिनांक–12.11.2016 द्वारा अनुशंसा की गई है। वाहनों से संबंधित विवरणी निम्नलिखित है :–

Sl. No.	Registration No.	Engine Number	Chasis Nomber	Period of Tax	Amount of Tax in Rs
1	New Vehicle TATA XENON	2.2LDICOR14GTYJ11648	MAT464535GSH06865	One Time Tax	16,665.00
2	New Vehicle TATA 407	497SPTC39JTY632771	MAT455252G8J22829	One Time Tax	42,774.00
3	New Vehicle BUS	CR16-64GTY110139	MAT373527GOHO6188	One Time Tax	3,97,183.00
				Total =	**4,56,622.00**

बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–910 दिनांक–23.02.2004 के आलोक में केन्द्रीय स्वातित्व वाले मोटर वाहनों को कर/अतिरिक्त कर से विमुक्ति प्रदान करने की शक्ति प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को प्रत्यययोजित की गई है।

अतः जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय से प्राप्त पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामा घाट के उपर्युक्त वाहन के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–15 के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत संगणित कुल कर **4,56,622/– (चार लाख छप्पन हजार छः सौ बाईस) रूपये** की विमुक्ति इस शर्त के साथ प्रदान **की जाती है कि गणना के** पुनः सत्यापनोपरान्त सही पाये जाने पर ही यह आदेश प्रभावी होगा।

उपर्युक्त प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

निबंधित
E-mail

ज्ञापांक–02/कर माफी –01/2015 परि0 1493 पटना, दिनांक– 27/12/16

प्रतिलिपि – जिला परिवहन पदाधिकारी, बेगूसराय/ पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रुप केन्द्र केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, मोकामा घाट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।